झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/कार्य–33/2015.................................. राँची, दिनांक–........................

प्रेषक:

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु लघु सिंचाई की 19 अदद् उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य लागत राशि रू॰ 988.435 लाख (रू॰ नौ करोड़ अठासी लाख तेतालीस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु लघु सिंचाई की 19 अदद् उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य लागत राशि रू॰ 988.435 लाख (रू॰ नौ करोड़ अठासी लाख तेतालीस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रदान की जाती है।

3. यह स्वीकृति प्रबंध निदेशक झालको, राँची द्वारा तकनिकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।

4. इन उद्वह सिंचाई योजनाओं में Construction of IntakeWell, Pump House, Outlet, Distribution Chamber, Mechanical fitting, Electrical Motor Pump इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

5. कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है–

(i) इन योजनाओं का कार्यान्वयन खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।

(ii) इन उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

(iii) योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन, रख–रखाव एवं विद्युत विपत्र भुगतान का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। **अगर कार्यस्थल पर योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं विद्युत विपत्र भुगतान का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति (WUA) से प्राप्त नहीं रहने पर योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।**

(iv) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा ।

(v) योजना का कार्य, कार्यस्थल पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने/विद्युत आपूर्ति बहाल होने की कार्रवाई समानान्तर रूप से चलने की स्थिति में ही प्रारम्भ किया जाएगा।

6. इन योजनाओं के निर्माण कार्य से कुल **1516** हे॰ (खरीफ–**1058** हे॰, रब्बी–**458** हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट–I में संलग्न है। औसत इंसिडेन्स ऑफ कॉस्ट रू0 **65200/– प्रति हे0** आकलित है। प्रत्येक योजना का लाभ–लागत अनुपात 1.0 से अधिक है।

7. इन योजनाओं का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष **2017–18** में प्रारंभ कर वर्ष **2018–19** में पूर्ण कराया जायगा।

8. **इन योजनाओं पर होने वाला व्यय निम्न रूप से भारित हो सकेगा –**

(I) बजट शीर्ष–''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण–45– निर्माण कार्य''

(II) बजट शीर्ष–''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण–45–निर्माण कार्य''

9. इन कार्यो के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी प्रबंध निदेशक झालको होगें।

10. कार्य को डिपोजिट वर्क के रूप में कराया जाएगा। प्रबंध निदेशक झालको इन कार्य हेतु आवंटित राशि को पी0एल0 खाता में जमा करेगें।

11. इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी प्रबंध निदेशक झालको एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

12. इन कार्यो के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशो एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

15. प्रस्ताव पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:– परिशिष्ट–I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/कार्य–33/2015 .... **राँची, दिनांक**–............................

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट –I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/कार्य–33/2015 .... **राँची, दिनांक**–............................

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट –I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/कार्य–33/2015 .... **राँची, दिनांक**–............................

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/मुख्य अभियता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु0:– परिशिष्ट –I

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य–33 / 2015 .... **राँची, दिनांक**–............................
प्रतिलिपिः आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर / कोल्हान प्रमंडल चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0ः– परिशिष्ट –I

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य–33 / 2015 .... **राँची, दिनांक**–............................
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0ः– परिशिष्ट –I

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

3417-185 रवी.
पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य–33 / 2015 .... **राँची, दिनांक**–29.08.2017
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु0ः– परिशिष्ट –I

29/08/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)
29/08/17

झालको द्वारा कराए जाने वाले उद्वह सिंचाई योजना निर्माण की सूची:—

(राशि लाख रू० में०)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि	सिंचन क्षमता (हे०मे०)			Incidence of Cost (Rs./ Ha)	10% ब्याज पर B.C. Ratio	[illegible]
						खरीफ	रब्बी	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रबंध निदेशक झालको, राँची।	सुवर्णरेखा नदी पर भाकर ग्राम में उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	पूर्वी सिंहभुम	गुड़ाबंधा	75.140	120	15	135	55,659	3.3300	[illegible]
2		सुवर्णरेखा नदी पर तारसपुर चकसोल ग्राम में उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	पूर्वी सिंहभुम	गुड़ाबंधा	78.660	120	15	135	58,267	3.1800	
3		सुवर्णरेखा नदी पर भाकर बाबुराम घाट ग्राम में उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	पूर्वी सिंहभुम	गुड़ाबंधा	82.450	120	15	135	61,074	3.0300	
4		ग्राम उसकू बरवाडीह में अमानत नदी पर उदवह सिचांई योजना का निर्माण	पलामू	पांकी	44.600	52	28	80	55,750	2.2600	[illegible]
5		सिहो ग्राम में उद्ववह सिंचाई योजना का निर्माण	गढवा	मेराल	45.282	56	26	82	55,222	2.0800	[illegible]
6		ग्राम सिमलदाह में उद्ववह सिंचाई योजना का निर्माण	पूर्वी सिंहभुम	पटमदा	49.644	40	20	60	82,740	3.5500	
7		ग्राम लालधुआ में उद्ववह सिंचाई योजना का निर्माण	पूर्वी सिंहभुम	धालभूमगढ	51.100	60	30	90	56,778	5.1600	
8		ग्राम रामगढ में उद्ववह सिंचाई योजना का निर्माण	सराकेला–खरसाँवा	खरसाँवा	39.940	40	20	60	66,567	4.4000	
9		ग्राम आसुरा में उद्ववह सिंचाई योजना का निर्माण	पश्चिम सिंहभूम	चाईबासा	50.267	40	20	60	83,778	3.5000	
10		ग्राम कहसिरा में उद्ववह सिंचाई योजना का निर्माण	पश्चिम सिंहभूम	जगन्नाथपुर	48.678	50	25	75	64,904	4.5000	
11		ग्राम वलियाडीह में उद्ववह सिंचाई योजना का निर्माण	पश्चिम सिंहभूम	जगन्नाथपुर	48.016	40	20	60	80,027	3.6700	
12		ग्राम सनन्दा में उद्ववह सिंचाई योजना का निर्माण	पश्चिम सिंहभूम	जगन्नाथपुर	49.603	40	20	60	82,672	3.5500	
13		ग्राम छोटा लगिया में उद्ववह सिंचाई योजना का निर्माण	पश्चिम सिंहभूम	खुँटपानी	36.654	60	30	90	40,727	7.1800	

पत्रांक 3/17-18 प्र.स्थी. दिनांक 29.08.2017

D:\Dixit\My documents\PMC\3_33_2015_Work_AA_LI

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि	सिंचन क्षमता (हे०में०)			Incidence of Cost (Rs./Ha)	10% ब्याज पर B.C. Ratio	अभि
						खरीफ	रब्बी	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	प्रबंध निदेशक झालको, राँची।	ग्राम जुंगुर–I में करकट नदी पर उद्धवह सिंचाई योजना का निर्माण	लातेहार	मनिका	36.765	32	22	54	68.083	1.7800	
15		ग्राम जुंगुर–II में करकट नदी पर उद्धवह सिंचाई योजना का निर्माण	लातेहार	मनिका	38.330	36	22	58	66.086	1.8800	
16		ग्राम लोहरी में मलय नदी पर उद्धवह सिंचाई योजना का निर्माण	पलामू	सतबरवा	60.017	40	40	80	75.021	1.6600	
17		ग्राम कोरवाडीह–I में उद्धवह सिंचाई योजना का निर्माण	गढवा	गढवा	39.893	32	28	60	66.488	1.7900	
18		ग्राम झोटर में उद्धवह सिंचाई योजना का निर्माण	गढवा	डंडई	43.033	40	26	66	65.202	1.8400	
19		कुण्डी (पश्चिम) ग्राम में उद्धवह सिंचाई योजना का निर्माण	गढवा	गढ़वा	70.363	40	36	76	92.583	1.3400	
योग :–					988.435	1058	458	1516			

पत्रांक 37/17-18 प्र. स्वी. दिनांक 29.08.2017

उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग
29/08/17